ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण

– रवि कुमार चौरसिया
असि. प्रोफेसर : संस्कृत विभाग
का.सु. साकेत पी.जी. कॉलेज, अयोध्या (उ.प्र.)

1. प्रस्तावना

प्राचीनकाल से ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका प्रारम्भिक स्वरूप हमें वैदिक संहिताओं से प्राप्त होता है, जहां पर नारी के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। धर्मशास्त्रों में भी नारी के प्रति प्रशंसा युक्त विचार व्यक्त किए गये हैं। मनुस्मृति में तो स्पष्ट कहा गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं तथा जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहां के सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्तेसर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।[1]

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि महिला की स्थिति में सुधार किये बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए देश की तरक्की के लिए हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।[2]

भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। जहां की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति हमारे देश की वास्तविक स्थिति है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था,राजनीति और समाज के विभिन्न पहलुओ पर दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि भारत देश को जिस गति से विकास करना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हो पाया है।

भारत देश में 121 करोड़ लोगों में से लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। हमारी आर्थिक प्रगति लगभग 8% के आसपास रही है लेकिन इसका पूरा लाभ गांवों को नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण बेरोजगारी आदि की समस्या उत्पन्न हो रही है। जहां तक ग्रामीण भारत के विकास में महिलाओं के योगदान की बात की जाए तो वर्तमान समय में ग्रामीण भारत के विकास में महिलाओं का योगदान बहुतस राहनीय है।

2. 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिला सशक्तिकरण–

ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रबल उदाहरण भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 73वें संविधान संशोधन से प्राप्त होता है। जिसमें महिलाओं को स्थानीय सरपंच के पद के लिए एक तिहाई आरक्षण मिला।[3] जिससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करने में सफल रही। उन्होंने पर्यावरण संबंधी चिंताओं सामाजिक, आर्थिक, उन्नति और डिजिटल माध्यमों का प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर अपने समुदाय के भीतर अपने लिए विश्वसनीयता स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा की तलाश की है, इस तरह के मंच महिलाओं को साहस प्रदान करते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम बनाते हैं, जिससे अंततः वह राजनीतिक कौशल भी प्राप्त कर पाती हैं।

इस योजना ने सत्ता और सामाजिक ताकत का विस्तार कर महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति दी और देश के सुदूर इलाकों में लोकतंत्र की सीमाओं का विस्तार किया। इसमें क्षेत्र की पूंजी और वहां की मानव और बौद्धिक संसाधनों पर समान नियंत्रण प्रदान किया जाना शामिल था। जिसने महिलाओं को अपना जीवन स्तर सुधारने और बेहतर जीवन जीने का अधिकार दिया । हालांकि राजनीति में स्थान पाने के लिए महिलाओं को अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों और विभिन्न ज्ञान आधारित क्षेत्रों में अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

3. आर्थिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण का उद्भव–

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए लागू की गई शुरुआती आर्थिक नीतियां बहुत सफल नहीं रही। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (DWCRA) का 1982-83 में 50 ग्रामीण जिलों में शुरू किया गया था। इसके चलते महिलाएं अपनी झिझक और कमजोरियों को दूर कर पाई और महंगे साहूकारों के बजायबैंक से ऋण लेनेमें सक्षम हुई।[4] नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च सेंटर फार मैक्रो कंज्यूमर रिसर्च द्वारा 2011 में जारी एक अध्ययन के अनुसार बैंकों की 12.6% ब्याज दर के मुकाबले साहूकारों के ऋण पर ब्याज उच्चतम स्तर पर 44% तक हो सकता है। ऐसे में महिलाओं के लिए इन ऊंची दरों पर ऋण लेना और काम काज शुरू करना बेहद कठिन था।आर्थिक सशक्तिकरण के इस मॉडल को केवल भारत के छोटे राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात ,महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही कुछ सफलताएं मिली, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण क्रेडिट नेटवर्क को लेकर समझ विकसित नहीं हो पायी, इसीलिए वे प्रभावी नहीं रहे। इन योजनाओं के बाद स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) का महिलाओं की सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा।[5]इसमॉडल के तहत यह स्वीकार किया जाता है कि बैक गांव में स्थित हो या ना हो, फिर भी महिलाओं को ऋण आसानी से मिल जाता है, इसलिए प्रत्येक लाभार्थी पूरे समूह के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। यह योजना सफल रही ,क्योंकि इसने महिलाओं को वित्तीय ज्ञान दिया और उन्हें आर्थिक अनुशासन के साथ काम करने और जीविकोपार्जन के लिए प्रेरित किया। महिलाओं के ये समूह परस्पर सहयोग और भागीदारी से चलते है। जिससे ऋण चुकाने का स्तर बेहतर हुआ और भुगतान सम्बन्धी चूक में उल्लेखनीय कमी आयी। पहले के योजनाओ के विपरीत, इस मॉडल ने महिलाओं को अपनी गति और सहूलियत के साथ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि अब ऋण लेने का एक भरोसेमंद स्रोत उनकी पहुंच के भीतर था। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया और उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता पैदा की। जिससे वेउन्नति की राह पर अग्रसर हुई।

तदन्तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) यानी मनरेगा द्वारा भी महिलाओं का पर्याप्त सशक्तिकरण हुआ। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित की गई है।[6] मनरेगा के तहत मुख्य रूप से 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है। यह एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय मॉडल है जो 2 फरवरी 2006 को पहले चरण में 200 जिलों में प्रमुखता के साथ शुरू किया गया और उसके बाद यह योजना पूरे भारत में

लागू कर दी गई। वर्तमान समय में इस योजना में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है कहीं–कहीं पर इनकी भागीदारी 50% से भी ज्यादा है। मनरेगा के प्रावधान और गैर कुशलता वाली नौकरियों में काम करने वाली माताओं की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील है। काम–काज की जगहों पर बच्चों को संभालने के लिए क्रैंच की सुविधा, काम और भुगतान के प्रति पूरी जवाबदेही, रोजमर्रा के कामकाज में पूरी पारदर्शिता और ठेकेदारों व बिचौलियों की भूमिका को खत्म किए जाने से महिलाओं के लिए काम को आसान बनाया है, और इन स्थितियों ने महिलाओं के पक्ष में काम किया है, हालांकि ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के बीच अभी भी वेतन का अंतर है। इससे शिक्षा और महिलाओं के रोजगार के बीच यू – आकार का एक संबंध पैदा होता है। जिसके तहत अशिक्षित तथा कम शिक्षा प्राप्त महिला संकट से प्रेरित होकर रोजगार तलाशती है, जबकि एक बेहतर शिक्षित महिला के पास बेहतर रोजगार चुनने और बेहतर वेतन पाने के व्यापक अवसर होते हैं। भुगतान से जुड़े रोजगार के अवसर ज्यादातर सरकारी रोजगार यानी सरकार द्वारा उन लोगों के रोजगार पैदा किए जाने से जुड़ेहोतेहैं।जिन्हेंकोईदूसरा काम नहीं मिल रहा हो । अंग्रेजी में इसे 'Empower of the resort' के रूप में समझा जाता है। मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को अपने कामों को स्वयं चुनने का विकल्प मिलता है। मनरेगा की शुरुआत के पीछे मुख्य लक्ष्य है कि यह रोजगार के जरिए लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता का अधिकार देता है, और उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कई मामलों में यह ग्रामीण महिलाओं के लिए उनकी योग्यता और क्षमडप्ता को पहचानने के एक तंत्र के रूप में भी काम कर सकता है। इन सभी योजनाओं के जरिए महिलाएं अब एक ऐसे स्तर पर पहुंचने में सक्षम हुई है, जहां पंचायत और स्थानीय प्रशासन के दूसरे केंद्रों में उनकी बातों को सुना जाता है, और उन्हें महत्व दिया जाता है।

4. ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरणीय माध्यम से सशक्त बनाना–

पर्यावरण अनुसंधान से जुड़े कई संस्थान भी ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं। राजस्थान के तिलोनिया में बेयर फुट कॉलेज के पाठ्यक्रमों के माध्यम् से महिलाएं न केवल शिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों के रूप में काम करती है, बल्कि वह गांव में टिकाऊ ऊर्जा संयंत्रों के संरक्षण से जुड़ी कोशिशों का हिस्सा भी बन गई है। सामुदायिक आधार पर काम करते हुए कम से कम 30% महिलाओं को मिलाकर एक ऊर्जा और पर्यावरण समिति बनाई जाती है।

यह समिति सबसे गरीब घरों की पहचान करती है, और यह पुरुष और महिलाएं 3 से 6 महीने के लिए बेयर फुट सौर इंजीनियरों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट(TERI) ने इन क्षेत्रों में लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स कार्यक्रम की शुरुआत की, और ग्रामीण क्षेत्रों की मुट्ठी भर महिलाओं के साथ काम शुरू कर उन्हें ऊर्जा उद्यमियों में बदल दिया। इस परियोजना ने वैश्विक स्तर पर 5.65 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है, और भारत के 24 राज्यों के अलावा 13 देशों को अपने अभियान में शामिल करते हुए, जून 2017 से अब तक दुनिया भर में 1130570 से ज्यादा घरों में सहयोग प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ाया है।

ऐसे में अब भारत के लिए अगला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह इन ग्रामीण महिलाओं को टीकाऊ ऊर्जा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की कौशल विकास संबंधी परियोजनाओं में संलग्न करें, ताकि वह इस क्षेत्र में बेहतरहोनेवालेकामभीकरसकें।

5. डिजिटलीकरण केजरिए महिलाओंकासशक्तीकरण–

तकनीकी उन्नति और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने में एक पहल वोडाफोन इंडिया ने उ–चमेंके तहत एक प्रयास किया। जो बैंकिंग सेवा का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार से संबंधित है। जिन क्षेत्रों में उ–चमें नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, वहां लाखों लोगों को वित्तीय समावेशन का लाभ मिला। यद्यपि यह योजना सफल नहीं रही, तथापि इससे महिलाओं के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा हुए और उन्हें पैसे से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिला।

2015 में इंटेलकैप (Intellecap) नाम का एक वैश्विक विकास परामर्श कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान और उनकी डिजिटलीकरण की शुरुआत की। उन्होंने इस मॉडल के प्रमुख लाभार्थियों की पहचान करने का लक्ष्य रखा, क्योंकि महिलाएं गैर कृषि संबंधित गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, गांव के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने और सौर ऊर्जा उद्यमियों के रूप में लगातार काम कर रही थी। इस तरह के मॉडल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को नई तकनीकी से रूबरू कराते हुए, रोजगार और सशक्तिकरण के नए अवसर पैदा कर सकते हैं, और इस दिशा में बहुत आगे जाने की संभावना है।

इस तरह की डिजिटल उन्नति को व्यापक रूप से शिक्षा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले डिजिटल कौशल कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि महिलाओं में वित्तीय मामलों की जानकारी बढ़े और वह अपने आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से समझने और निपटाने में सक्षम हो। यदि ऐसा हो पाता तो ग्रामीण इलाकों में पैठकर चुके पितृसत्तात्मक मानदंडों और रीति–रिवाजों को भी चुनौती मिलेगी और महिलाएं व पुरुष रूढ़िवादी सोच से आगे बढ़ पाएंगे। एक महिला जो पर्यावरण की दृष्टि से जागरूक है आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और डिजिटल रूप से मुखर है अंततः देश के राजनीतिक फलक पर एक लोकतांत्रिक आवाज बनकर उभरेगी और इस क्षेत्र में बराबरी कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

6. निष्कर्ष–

महिला सशक्तिकरण भारतीय समाज की वह आवश्यकता है जिससे समाज और देश में बहुत कुछ बदल जा सकता है। महिलाएं समाज की किसी भी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढ़ंग से निवारण करने में समर्थ मानी जाती है। वह देश और परिवार के लिये अधिक जनसंख्या के नुकसान को अच्छी तरह से समझ सकती है। महिलाएं पारिवारिक योजना से समाज में देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करने में पूरी तरह से सक्षम है। इससे महिलाओं को परिवार का दूरी बताया गया है जिसके बिना परिवार का चलना संभव नहीं है, और यदि हमारे परिवार का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए देश के विकास में महिलाओं का योगदान अति आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. मनुस्मृति 3/56 हरगोविंद शास्त्री, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी।
2. ग्रामीण विकास की समीक्षा महिला सशक्तिकरण, विशेषांक प्रकाशन–राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं

पंचायती राज, संस्थानराजेंद्रनगर, हैदराबाद।
3. 73वें संविधान संशोधन–जयराम उपाध्याय, अनुच्छेद– 243 भाग 9।
4. लेख, अभिषेक अग्निहोत्री – 21 सितम्बर 2020 का अंक ।
5. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, नरेगा सर्वे– 2008 वाणी प्रकाशन ।
6. राकेश मल्होत्रा–बिजनेस इंडिया के स्वयं सहायता समूह पर लेख, 10 अप्रैल 2005 का अंक